पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024
उनवान : मृत भूराराम के विधिक उत्तराधिकारी पुनाराम बनाम शोभा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/123

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
मृत भूराराम पुत्र हतनाजी, जाति चौधरी, निवासी लालराई, तहसील बाली, जिला पाली के विधिक उतराधिकारी :– 1. पुनाराम पुत्र स्वर्गीय भूराराम,, जाति चौधरी, निवासी लालराई, तहसील बाली, जिला पाली राज.	बनाम	1. शोभा पुत्री रामलाल जाति चौधरी, निवासी लालराई हाल निवासी फालना, तहसील बाली जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत सेसली, पंचायत समिति, बाली तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत सेसली, पंचायत समिति बाली का आदेश/प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03. 2019 व विक्रय–विलेख संख्या 63 दिनांक 30.09.2019 अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी को निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :– वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांकः 11.02.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पेश कर गाम पंचायत सेसली का आदेश/प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2019 व विक्रय–विलेख संख्या 63 दिनांक 30.09.2019 अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी को अपास्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार ग्राम लालराई में स्वर्गीय रामलाल पुत्र धुलाजी, जाति चौधरी, निवासी लालराई का एक पुश्तैनी कब्जाशुदा भूखण्ड निम्न पडौसियो के बीच में स्थित था उतर में वीरम पुत्र मोटाजी चौधरी का मकान, दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व में गणपतसिंह वचनसिंह का मकान, पश्चिम में जीवाराम रेबारी का मकान आया हुआ था। उक्त भूखण्ड पूर्व से पश्चिम 45 चौड़ा आगे की तरफ व पूर्व से पश्चिम की तरफ 40 फीट चौड़ा पीछे की तरफ, लम्बाई उत्तर से दक्षिण 85 फीट है जिस भूखण्ड को रामलाल पुत्र धुलाजी द्वारा अपने जीवनकाल में जरिये बेचान लिखत दिनांक 10.07.2001 के जरिए प्रार्थी के पिता को बेचाण कर दिया था जिस भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता भूराराम के जीवनकाल तक भूराराम का कब्जा रहा व उसकी मृत्यू के बाद प्रार्थी का कब्जा विद्यमान है मौके पर वर्तमान में प्रार्थी का मकान

अति. जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024

उनवान : मृत भूराराम के विधिक उत्तराधिकारी पुनाराम बनाम शोभा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

मय पोल बनी हुई विद्यमान है। बेचाण लिखत दिनांक 10.07.2021 की फोटोप्रति सलंग्न है, जिस भूखण्ड में से प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में आधा भूखण्ड 20 फीट बाई 80 फीट का जायज जरुरत होने से माणकराम पुत्र लकमाजी देवासी को बेचान कर दिया शेष हिस्से पर प्रार्थी का रहवासीय मकान मय पोल बनी हुई है उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता का खरीदशुदा है।

यह कि, उक्त खरीदशुदा भूखण्ड में से रामलाल पुत्र हतनाजी, जाति चौधरी, निवासी लालराई का कोई लेना–देना नही था फिर भी उक्त रामलाल द्वारा दिनांक 01.05.2017 का निम्न लिखित नाप व पडौस के भूखण्ड के अप्रार्थीया के नाम वसीयत करवा दिया उत्तर में वीरमाराम पुत्र मोटाजी चौधरी, दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व में माणकराम पुत्र लकमाजी देवासी, पश्चिम मे कानाराम पुत्र जीवाजी देवासी उपरोक्त पडौस बीच का भूखण्ड नाप में वर्णित 20 फीट चौड़ा व 85 फीट लम्बा कुल 1700 वर्गफीट के भूखण्ड में मृत रामलाल पुत्र हतमाजी जाति चौधरी निवासी लालराई ने उनके स्वामित्व का नही होने से भी बिना कब्जे के एवं दस्तावेज के फर्जी एवं कुटरचित एक वसीयतनामा दिनांक 01.05.2017 को निष्पादित करवाया जो फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज की श्रेणी में रखे जाने योग्य है जो प्रारम्भ से ही शुन्य था व रहेगा ।

यह कि, उक्त खरीदशुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी ने दिनांक 04.10.2021 को ग्राम पंचायत सेसली के यहां निवेदन किया जिस पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में 120/– अक्षरे एक सौ बीस रुपये की रसीद नक्शा फीस व मौका निरीक्षण फीस भी काटी व प्रार्थी को जिस नाप व पडौस के भूखण्ड के लिये पट्टा हेतु आवेदन किया है उक्त प्रार्थी के भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी को पता चला कि ग्राम पंचायत सेसली में रामलाल पुत्र हतनाजी, जाति चौधरी, निवासी लालराई की मृत्यू के पश्चात अप्रार्थीया द्वारा उक्त पट्टा की भूमि प्रार्थी के पिता द्वारा दिनांक 10.07.2021 के जरिये रामलाल पुत्र धुलाजी जाति चौधरी, निवासी लालराई से खरीदसुदा व कब्जाशुदा भूखण्ड को बाले–बाले मिलावट कर विक्रय–विलेख संख्या 63 जारी दिनांक 30.02.2019 गलत व फर्जी जारी किया गया है वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूखण्ड में कोई कानूनी हित निहित नहीं है उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी कतई नहीं है जिससे भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2019 काबिल खारिज योग्य है।

यह कि, ग्राम पंचायत में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा प्राप्त करने का आवेदन नियम 145 के तहत पेश नहीं किया गया है एवं जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वो प्रिंटेड है साथ ही भूमि पर आधिपत्य किस प्रकार से है यह नहीं बताया है साथ ही भूमि पर आधिपत्य किस प्रकार से है यह नहीं बताया गया है साथ ही आवेदन के साथ आवेदन शुल्क निरीक्षण शुल्क नक्शा शुल्क प्रस्तुत नहीं किया है एवं आवेदन ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया है एवं आवेदन ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी दशा में आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। आवेदन किसके द्वारा किस तारीख को पेश किया आवेदन पर तारीख अंकित

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है एवं आदेशिका प्रिंटेड होने से नियमानुसार मिसल दर्ज नहीं की है। साथ ही आदेशिका दिनांक 08.01.2019 को भी प्रिटेंड होने से नियमानुसार कार्यवाही नही की गई है साथ नक्शा मौका पर अप्रार्थीया के हस्ताक्षर नहीं है एवं आबादी भूमि निरीक्षण प्रपत्र वर वार्डपंचो की राय दर्ज की गई है एवं आदेशिका दिनांक 21.01.2019 भी प्रिन्टेड है ऐसी दशा में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है। आदेशिका दिनांक 28.02.2019 व 05.03.2019 भी प्रिंटेड है जिसमें मात्र 200/— रुपये अंकित किये गये। ग्राम पंचायत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नही किया साथ ही ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्डग पर नही लिया है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त पुश्तैनी मकान हो, वास्तव में अप्रार्थी संख्या 01 का निवास व ससुराल फालना गांव है एवं लालराई में न तो उसका भूखण्ड है न ही रहवास है उक्त भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या 1 को फिलहाल कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है ग्राम पंचायत द्वारा मिलावट कर गैर कानूनी तरीके से विक्रय—विलेख जारी किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है।

यह कि, ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड को प्रार्थी का खरीदशुदा होते हुए भी गैर—कानूनी व गलत विक्रय—विलेख मात्र 200/ रुपये में जारी किया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त सम्पति में हित निहित नही है तथा उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 रहवासीय नही होने से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.03.2019 को जो प्रस्ताव पारित किया गया वह पूर्ण रुपेण गैरकानूनी है एवं 200/— रुपये में नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही था जिससे भी विक्रय—विलेख व प्रस्ताव दोनो ही खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि, उक्त वादग्रस्त सम्पति प्रार्थी की खरीदसुदा व कब्जाशुदा रहवास होने से ग्राम पंचायत ने आम आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड व सम्पति पर चस्पा नही किया न ही नोटिस पर दिनांक वर्णित है न ही सरपंच के हस्ताक्षर है जिससे भी प्रक्रिया दूषित हो गयी साथ ही मिसल में जिन दो गवाहो के बयान सलंग्न किये है वे प्रिटेंड जिस पर न तो दिनांक अंकित न ही सरपंच के कही हस्ताक्षर है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 का कोई शपथ—पत्र भी नहीं लिया गया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है। तमाम आदेशिकाएं इस प्रकार से प्रिन्टेड की गई है कि वे आदेशिकाएं सभी मिसलों में काम आ सके जिससे यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है एवं प्रार्थी की सम्पति को 200/— रुपये शुल्क लेकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में विक्रय—विलेख जारी कर दिया जो फर्जी व कूटरचित दस्तावेज की श्रेणी में रखे जाने योग्य है तथा विक्रय—विलेख जारी दिनांक 30.09.2019 की आदेशिका की पत्रावली में नहीं है जिससे भी विक्रय—विलेख व प्रस्ताव दोनो ही खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत के आधिपत्य व स्वामित्व का नहीं है ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एब इनिसियो वॉईड होने से पृथम दृष्टया काबिल खारिज के है। अतः

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024
उनवान : मृत भूराराम के विधिक उत्तराधिकारी पुनाराम बनाम शोभा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायत राज अधिनियम 1994 स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सेसली, पंचायत समिति बाली का आदेश प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2019 व विक्रय–विलेख संख्या 63 दिनांक 30.09.2019 अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं निम्नानुसार बिन्दुवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि :–

1. यह कि, प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। गांव लालराई में स्वर्गीय रामलाल पुत्र धूलाजी जाति चौधरी का भूखण्ड को क्रय अप्रार्थीया के पिता व भूराराम ने मिलकर करने का तय किया तब स्व. भूराराम ने कहा उसका लड़का (प्रार्थी) शराबी है व उसके पास इतने रुपये नहीं है, वह ड्राईविंग कर कमाते थे, उनका धंधा गाडी एम्बेसडर होने से नहीं चल रहा था, तब अप्रार्थीया के पिता रामलाल ने कहा रुपये वह मुम्बई से भेज देगा, रजिस्ट्री आप करवा लेना भूखण्ड दोनो भाई आधा आधा कर लेंगे। तत्पश्चात रुपये अप्रार्थीया के पिता ने अदा किये व वे उस समय मुम्बई में होने से विक्रय पत्र रजिस्टर्ड भूराराम ने करवाया परन्तु रुपये भूराराम के नहीं थे। दोनो भाईयो में प्रेम था व प्रार्थी शराबी होने से उनकी सेवा चाकरी भी नहीं करता था जिससे उनकी सार सम्भाल भी अप्रार्थीया व उसके पिता करते रहे है। भूखण्ड खरीदने के पश्चात दोनो भाईयों भूराराम व रामलाल ने इसके दो भाग कर बांट लिया इसके पश्चात उन्होंने प्रार्थी से तंग आकर उनके हिस्से का भूखण्ड श्री माणकराम पुत्र लकमाराम जी देवासी को बेचान कर दिया। तब से उस पर श्री माणकराम का विधिवत स्वामित्व है व कब्जा है तथा वे ही उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। यह तथ्य प्रार्थी ने छिपाकर निगरानी गलत पेश की है यानि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष में नहीं आया है।
2. यह कि, निगरानी के पद संख्या 02 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। श्री रामलाल धूलाजी से वादग्रस्त भूखण्ड दिनांक 10.07.2001 को खरीद करने के पश्चात उसके दो भाग किये गये व श्री भूराराम हतनारामजी द्वारा उनके हिस्से का भूखण्ड उपरोक्तानुसार बेचान करने के पश्चात अप्रार्थीया के पिता रामलाल हतनाजी ने अपने हिस्से के भूखण्ड पर मकान बनवाया उसमें विद्युत कनेक्शन लिया तथा मकान में बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रुप से शांतिपूर्वक उनके जीवनप्रर्यत रहे व उनके बड़े भाई भूराराम की सार–संभाल करते रहे। भूराराम ने उनके जीवनकाल में कभी इसका एतराज नहीं किया व जब ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार की मंशानुसार पट्टे बनवाये जा रहे थे तब भूराराम ने उनके भाई रामलाल अप्रार्थीया के पिता से कहा अब हमारा सहारा व

P.T.O.

सेवा तो शोभा ही करेगी दूसरा कोई नहीं है जिससे पट्टा अप्रार्थीया के नाम से ही बनवाने को कहा व उनके अनुसार ही पट्टा बनवाने हेतु आवेदन दिनांक 14.05.2017 को किया गया रामलाल के कोई पुत्र संतान भी नहीं थी व अप्रार्थीया अकेली पुत्री थी जो भी शादी शुदा थी। तथा दोनो भाईयों की सार संभाल करती रही है। तब पट्टा संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.03.2019 की अनुपालना में दिनांक 30.09.2019 को जारी किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा इस पद में दर्शाए तमाम तथ्य सरासर गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीया एक मात्र उसके पिता की संतान होने से उन्होनें मकान उसे वसीयत किया है जो उनके द्वारा ही बनवाया गया है। जिस बाबत विवरण उपरोक्त पद में दिया जा चुका है जब 2001 से यानि खरीद के पश्चात भूखण्ड के दो भाग कर उस पर रामलाल द्वारा प्रार्थी के पिता भूराराम की मौजुदगी में मकान बनवाया गया तब कोई आपत्ति नहीं थी न ही की गई, प्रार्थी उस समय भी जीवित ही था, पट्टा बनाये जाने के 02 वर्ष बाद प्रार्थी के पिता श्री भूराराम का स्वर्गवास हुआ है तब तक भी भूराराम ने कोई आपत्ति नहीं की अब उनके स्वर्गीय होने पर प्रार्थी को यह आपत्ति करने का अधिकार ही नहीं रहा है। जब रामलाल ने मकान बनवाया तब भी कोई आपत्ति नहीं की पट्टा बनवाया तब भी कोई आपत्ति नहीं की बल्कि भूराराम स्वयं ने कहा बेटी तेरे नाम से ही पट्टा बनवा शायद हमारी सेवा का तुम्हें ही मौका मिले प्रार्थी तो उनकी सेवा करता ही नहीं था। वादग्रस्त भूखण्ड के खरीद के रुपये अप्रार्थीया के पिता ने ही भूराराम को दिये थे व रजिस्ट्री करवाने का कहा एवं दो भाग में बांट कर लेंगे का कॉल किया हुआ होने से ही स्व. भूराराम ने दो भाग 2001 में ही कर दिये व आधा भाग स्वयं के रखा व आधा भाग रामलाल अप्रार्थीया के पिता को दिया जिस पर उन्होने मकान बनवाया व निवास करते रहें। पट्टा 20X80 फीट क्षेत्रफल का है। प्रार्थी का वादग्रस्त स्थल पर अथवा उसके किसी अन्य हिस्से पर कभी भी कब्जा नहीं रहा उसके हिस्से का भूखण्ड को स्वयं भूराराम ने बेचान कर दिया था जिससे प्रार्थी जोर जबरदस्ती अप्रार्थीया के मकान पर लडाई झगडा कर अधिकार जताने लगा।

3. यह कि, निगरानी के पद संख्या 03 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीया के नाम पट्टा वादग्रस्त मकान का भूखण्ड का दिनांक 30.09.2019 को जारी हो गया व उसके दो वर्ष के पश्चात प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास हो गया तब प्रार्थी ने विद्वेश पूर्ण आशय से अप्रार्थीया को अबला नारी अकेली होने से डरा धमका कर मकान कब्जे कर उसे बाहर निकालने के आशय से ग्राम पंचायत सेसली में दिनांक 04.10.2021 को पट्टा उसके नाम बनवाने का प्रार्थना पत्र रुपये एठने व मकान हडपने के आशय से अगर पेश किया तो ग्राम पंचायत ने उसे निरस्त कर दिया पट्टे पर पट्टा बनाने का अधिकार उन्हें नहीं होने से ही ऐसा किया गया है। तब प्रार्थी ने अप्रार्थीया के विरुद्ध एक सिविल वाद भी सार्वकालिक निषेधाज्ञा

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त करने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय बाली के समक्ष पेश किया गया। जिसका उनवान पूनाराम बनाम प्रतिवादी शोभा मुकदमा नम्बर दीवानी मूल 19/2021 है।वर्तमान में यह पत्रावली स्थानान्तरण होकर न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज बाली के न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें प्रार्थी को राहत नहीं मिलने से यह निगरानी पेश की है। इस भूखण्ड बाबत् तमाम अधिकार उक्त सिविल वाद में तय होंगें। उसका वाद निरस्त होने की सूरत में इस निगरानी का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिससे इस निगरानी में शहादत नहीं होने वाली हैं बिना शहादत के यह मुद्दा तय नहीं किया जा सकेगा।

4. यह कि, निगरानी के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की तमाम प्रक्रिया कानून अनुसार अपनाई जाकर पट्टा जारी किया है। जिस प्रक्रिया से आम गांव के लोगो को पट्टे जारी किये गये है उसी अनुरुप अप्रार्थीया के नाम भी पट्टा जारी किया गया उसमें स्वयं प्रार्थी के पिता श्री भूराराम भी शामिल थे उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था। प्रार्थी के नाम कोई भूखण्ड ही स्थित नहीं है जो भूखण्ड उसके हिस्से में आता था उसे उसके स्वयं के पिता ने उसकी गलत हरकतों के कारण बेचान कर दिया है। अन्य भूखण्ड उन्होंने उनके छोटे भाई को उपरोक्तानुसार दिया है।

5. निगरानी के पद संख्या 5 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। गांव सेसली में प्रार्थी के नाम खरीदशुदा कोई भूखण्ड ही नहीं है न उसका ऐसे किसी भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। जिस मकान का पट्टा जारी किया गया है व अप्रार्थीया के पिता ने 2001 में बनवाया हुआ है व उनका व अप्रार्थीया का उसमें निवास व रहवास होने से ही पट्टा जारी किया गया है। उस बाबत प्रार्थी ने अवश्य वाद प्रस्तुत किया है जिससे उसे सफलता हाथ नहीं लगी। वह वाद भी म्याद बाहर है। पट्टा पंचायत राज अधिनियम के तहत ही जारी किया गया है जो 200 रुपये की राशि बताई गई वह मकान पूर्व से ही बना हुआ होने से उसे तस्दीक किया गया है उस पर नियमानुसार लगने वाली राशि ही वसूल की गई है। नियम 157 (1) के तहत किया गया है अप्रार्थीया ने कोई गलत तथ्य बताये ही नहीं है मकान बना हुआ मौजुद है वह अप्रार्थीया के पिता ने उनके खर्चे से बनवाया है व उसे अप्रार्थीया को वसीयत किया है जिससे उनके नाम बनाया गया है। मकान के स्वामित्व बाबत् कोई विवाद नहीं था।

6. यह कि, निगरानी का पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है वादग्रस्त संपति प्रार्थी की खरीदसुदा नहीं है न हीं उसका इस पर रहवास है बल्कि वादग्रस्त स्थल पर अप्रार्थीया का रहवासीय मकान बना हुआ है जिसमें उसका निवास है एवं पट्टा बना हुआ है जो भी प्रार्थी के पिता स्व. भूराराम के जीवनकाल से है। भूखण्ड की खरीद में रुपये अप्रार्थीया के पिता स्व. रामलाल ने मुम्बई से भूराराम जो उनके बडे भाई थे को भेजे थे। प्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024
उनवान : मृत भूराराम के विधिक उत्तराधिकारी पुनाराम बनाम शोभा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थीया का मकान को हडपना चाहता है इसमें वह सफल नहीं होने से उसने एक दीवानी वाद भी पेश किया व स्थगन प्रार्थना पत्र भी सिविल न्यायाधीश बाली के न्यायालय में पेश किया हुआ है उसमें सफलता नहीं मिलने से यह निगरानी झूठे कथन कर प्रस्तुत की हैं जो मिथ्या कथनों पर आधारित होने से निरस्त योग्य है।

7. यह कि, निगरानी का पद संख्या 07 का जवाब है कि भूखण्ड ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित है मौके पर अप्रार्थीया का मकान बना हुआ है जिसमें उसका निवास पुराना है विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है इसका पट्टा(विक्रय विलेख पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के नियमानुसार जारी किया गया है, यानि अप्राथीया के मकान पर अप्रार्थीया का काबिज होना, स्वत्व रखने की स्थिति को जायज ठहराकर कब्जे को तस्दीक किया गया है।

8. यह कि, निगरानी का पद संख्या 08 गलत होने से अस्वीकार है वादग्रस्त स्थल पर मकान अप्रार्थीया का स्थित है प्रार्थी का कोई भूखण्ड मकान नहीं है उसके हिस्से का भूखण्ड उसके पिता ने बेच दिया है वादग्रस्त भूखण्ड मकान प्रार्थी का खरीदशुदा भी नहीं है न इस पर कभी उसका कब्जा, रहवास ही रहा है न आज दिन तक है। जिससे प्रार्थी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है प्रार्थी ने निगरानी मिथ्या कथन पर बिना कब्जा व आधार के सही तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत की है, जो निरस्त करने योग्य है।

ग्राम पंचायत, सेसली से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

विचाराधीन निगरानी पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया के पिता रामलाल पुत्र हतनाजी का जैर आलोच्य भूखण्ड पर कोई वैधानिक हक नहीं बनता है, अतः, वसीयत दिनांक 01.05.2017 गैर–कानूनी तथा स्वतः निष्प्रभावी है। अप्रार्थीया शोभा से पूर्व उनके पिता रामलाल पुत्र हतनाजी द्वारा इसी भूखण्ड से संबंधित पट्टे हेतु दिनांक 10.05.2017 को आवेदन किया गया। अर्थात् रामलाल (वसीयतकर्ता) की मृत्यू किस दिनांक को हुई अर्थात वसीयत किस दिनांक को प्रभाव में आई, यह अप्रार्थीया ने स्पष्ट नहीं किया है। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जैर आलोच्य पट्टा संख्या 63 दिनांक 30.09.2019 राजस्थान पंचायतीराज नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस हेतु प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पालना नहीं की है, जिस कारण भी उक्त जैर–आलोच्य पट्टा काबिल खारिज है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अप्रार्थीया के इस कथन को सही मानते हुए स्वीकार किया कि प्रार्थी पूनाराम पुत्र श्री भूराराम की ओर से अप्रार्थीया के विरुद्ध इसी भूखण्ड एवं इसी पट्टे को लेकर सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है।

बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024
उनवान : मृत भूराराम के विधिक उत्तराधिकारी पुनाराम बनाम शोभा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस के दौरान जवाबपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी शोभा के पिता ने प्रार्थी के पिता को उक्त भूखण्ड खरीदने हेतु पैसे दिए थे एवं दोनो भाईयों ने अपने जीवनकाल में उक्त भूखण्ड आधा–आधा हिस्सो में बांट लिया था। यह कि अप्रार्थीया के पिता का अपने हिस्से वाले आधे भूखण्ड पर मकान भी बना हुआ है तथा प्रमाण के रुप में बिजली का बिल प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से का भूखण्ड विक्रय कर दिया था। यह कि, प्रार्थी के पिता भूराराम, जो कि जैर–आलोच्य पट्टा जारी होने के वक्त जीवित थे, ने उक्त भूखण्ड तथा उक्त पट्टे पर कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। जैर आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थीया के पिता का कब्जाशुदा एवं वैधानिक हक् हकुक का भूखण्ड था, जिसे अप्रार्थी शोभा के पक्ष में वसीयत करने का पूरा अधिकार था। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि जैर आलोच्य भूखण्ड एवं पट्टे के संबंध में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश बाली में एक वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसका उनवान वादी पूनाराम बनाम प्रतिवादी शोभा मुकदमा नम्बर दीवानी मूल 19/2021 है। यह पत्रावली वर्तमान में ट्रांसफर होकर श्रीमान वरिष्ठ सिविल जज साहब बाली के न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूखण्ड के संबंध में तमाम अधिकार उक्त सिविल वाद में तय होगें। उक्त वाद निरस्त होने की सूरत में इस निगरानी का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। अन्त में निवेदन किया कि सिविल वाद विचाराधीन होने एवं सारहीन निगरानी प्रस्तुत करने के कारण हस्तगत निगरानी खारीज की जाए।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने अपनी दलीलों के समर्थन में **न्यायिक दृष्टांत Jakir Hussain Gauri Vs. State Of Rajasthan & Ors. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत निर्णय दिनांक 26.05.2015 (2015(2)CT(RaJ) Page No. 695** प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड, पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान विवेचन किया गया।

प्रार्थी ने जैर निगरानी भूखण्ड के पट्टा संख्या 63 दिनांक 30.09.2019 को इस आधार पर चुनौति दी है कि उक्त भूखण्ड पर वैधानिक स्वामित्व अप्रार्थी संख्या एक का नहीं होकर प्रार्थी का है एवं प्रार्थी द्वारा स्वामित्व अप्रार्थी संख्या एक का नहीं होकर प्रार्थी का है एवं प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व के आधार के रुप में अपने पिता स्वर्गीय श्री भूराराम के पक्ष में स्वर्गीय श्री रामलाल पुत्र धुलाजी के द्वारा निष्पादित विक्रय दस्तावेज को बताया गया है।

निगरानी के साथ प्रस्तुत उक्त विक्रय दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया **दिनांक 10.07.2001 को लेखबद्ध उक्त विक्रय दस्तावेज अपंजीकृत एवं नोटरी शुदा**

अतिरिक्त ... बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 109/2024
उनवान : मृत भूराराम के विधिक उत्तराधिकारी पुनाराम बनाम शोभा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

है। अपंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर हक–निर्धारण का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है। उक्त क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि जैर निगरानी पट्टे के भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध सिविल न्यायालय बाली में एक वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो बउनवान वादी पूनाराम बनाम प्रतिवादी शोभा मुकदमा नम्बर दीवानी मूल 19/2021 से जैर ट्रायल विचारधीन है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में प्रश्नगत पट्टे की भूमि के संबंध में सिविल अधिकारो का मामला है जो सिविल न्यायालय बाली में विचाराधीन उक्त वाद में ही निर्धारित हो सकते हैं तथा उक्त वाद दीवानी मूल 19/2021 को अन्तिम निर्णयानुसार ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही होनी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी बखिलाफ़ प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.03.2019 एवं पट्टा संख्या 63 दिनांक 30.09.2019 इस स्टेज पर खारिज की जाती है तथा संबंधित पक्षकारान् को सिविल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सेसली का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner